N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0108 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/05/2025 19:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/11/2014 **Date To (दिनांक तक):** 16/02/2015

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/05/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/05/2025 19:23:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 01 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARYALYA MUKHY CHIKITSA AVM SWASTHYA ADHIKARI, JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DR.GIRDHARI LAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PEMARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 08, SADULSHAHAR, SADUL SHAHAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 08, SADULSHAHAR, SADUL SHAHAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARESH BANSAL		पिता:GORDHAN DAS BASAL	1. 19 G BLOCK SHRIGANGANAGAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
2	SATISH GUPATA		पिता:RAMRATAN LAL GUPATA	1. AANAND VIHAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
3	SUWALAL		पिता:MALIRAM	1. WARD NO-1,HANUMAN MANDIR KE PEECHHE,R.C.P. COLONY,ANUPGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
4	AMIT POONIYA		पिता:LET.INDRAJEET POONIYA	1. 1129,PURANI AABADI,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
5	VISHNU KUMAR KAUSHIK		पिता:HARIOMPRAKESH	1. 31,VINOBA MARKET,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

6	BABULAL		पिता:MAGHDAS	1. VRADDHASHRAM ROAD,RAMDEV COLONY,GANGA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,54,737.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,54,737.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादी डॉ. गिरधारीलाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा एक शिकायत ब्यूरो मुख्यालय पर प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा नसबन्दी शिविर में महिलाओं के उपयोग हेतु गददे क्रय करने में हुए भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत की जॉच हेतु माननीय मन्त्री महोदय द्वारा एक उच्च स्तरीय जॉच कमेटी (श्री विरेन्द्रसिह , विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्री संजय कुमार शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग, श्री नोपाराम पारीक वित्तीय सलाहकार मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा एव स्वा. सेवाए राज जयपुर) का गठन किया गया जिसमें जॉच कमेटी ने अपने निष्कर्ष में अभिशंषा की है कि प्रकरण में उच्च स्तरीय जालसाजी करके अनियमितता की गई है तथा कुटरचना से फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए निम्न स्तरीय गददों की आपूर्ति करके अनियमित भुगतान उठाया गया है। इसलिए प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराये जाने की अभिशंषा की जाती है। उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद सं. 104/20 दिनांक 14.08.2020 विरूद्ध डॉ. नरेश बंसल तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अन्य दर्ज होकर प्राप्त होने पर श्री विजेन्द्र शीला निरीक्षक पुलिस द्वारा बाद जांच प्रेषित रिपोर्ट पर ब्यूरो मुख्यालय से परीक्षणोपरान्त प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रकरण हाजा में धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत सक्षम स्तर से अनुमोदन हेतु निवेदन किया गया। जिस पर संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 04.05.2022 को आरोपीगण के विरूद्ध जॉच/अनुसंधान करने के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 17 ए के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया है। सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद संख्या 06/2022 दिनांक 25.05.2022 दर्ज की जाकर सत्यापन हेतु ब्यूरो चैकी श्रीगंगानगर प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया। सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीगंगानगर से कमेटी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट, कार्यालय की नोटशीट, भुगतान वाउचर आदि दस्तावेज प्राप्त कर सम्बधित के बयान एव स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। प्रकरण हाजा में तत्कालीन मन्त्री महोदय द्वारा एक उच्च स्तरीय जॉच कमेटी (श्री विरेन्द्रसिह विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्री संजय कुमार शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 विभाग, श्री नोपाराम पारीक वित्तीय सलाहकार मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वा. सेवाए राज जयपुर) का गठन किया गया, जॉच कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा नसबन्दी शिविर में महिलाओं के उपयोग हेतु गददे क्रय करने में ना तो नियमों का पालन किया गया ना ही कार्यालय प्रक्रिया का पालना किया गया। इन गददों की खरीद के समय राज्य में आर.टी.पी.पी नियम लागू हो चुके थे। आर.टी.पी.पी. रूल्स 2013 में दिये गये क्रय प्रावधानों में उपापन समितियों के गठन का प्रावधान है। प्रावधान के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था उपापन समिति का गठन करेगी। ऐसी कमेटी में एक सदस्य संस्था का वरिष्टतम लेखा कार्मिक होगा। अधिसूचना संख्या एफ 1(8)एफडी/ जीएफएण्डएआर/2021 दिनांक 4.09.13 के बिन्दु स. 2 डीजीएस एण्ड डी भारत सरकार से दर संविदा धारण करने वाली फर्मो से निम्न शर्तो पर क्रय करने का प्रावधान है:-1. क्रय आदेश डी.जी.एस.एण्ड डी या आदेश देने की तारीख पर डी.जी.

एस.एण्ड डी के साथ विधिमान्य दर संविदा धारण करने वाला किसी फर्म को प्रत्यक्ष मांग करने वाले अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए उपापन संस्था द्वारा दिया जायेगा। 2. उपापन की जाने वाली मद के लिए डी.जी.एस.एण्ड डी दर संविदा वाला फर्म यदि राजस्थान में स्थित है तो उस फर्म को अधिमान दिया जायेगा। 3.उपापित मद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डी.जी.एस.एण्ड डी की जयपुर शाखा से मद का निरीक्षण कराया जा सकेंगा। उक्त अधिसूचना के क.स 10 के अनुसार बेडिंग और फर्निशिंग (मेट्रेस शामिल) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, राजस्थान राज्य हथकरधा विकास निगम, खादी भण्डार से क्रय किये जा सकते थे। इस क्रय प्रकरण में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा कार्यालय की उपापन समिति का गठन किया जाना नियमानुसार आवश्यक था। उपापन समिति आवश्यकता का अवधारण नियम 6 उपापन की पद्धति यथा खुली निविदा एक स्त्रोत आदि में से उपयुक्त का चयन करेगी। जबकि प्राप्त दस्तावेजो अनुसार सीएमएचओ श्रीगंगानगर द्वारा अपने ही स्तर पर डी.जी.एस एण्ड डी से क्रय करने का आदेश दिया है। आदेश जारी करने के सम्बंध में कार्यालय प्रक्रिया के तहत नोटशीट पर भी आदेश पुट अप भी नही किया गया। विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान में स्थित फर्मो पर विचार नही किया गया तथा सीधे ही उत्तरप्रदेश स्थित फर्म को क्रय आदेश जारी किया गया तथा क्रय किये गये आईटम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डी.जी.एस एण्ड डी की जयपुर शाखा से निरीक्षण नही कराया गया। प्रकरण में उक्त गददों की खरीद हेतु क्रय समिति तकनीकी समिति एवं उपापन समिति का गठन नही करने के अलावा निम्न अनियमितताये भी सामने आई हैं - 1.क्रय आदेश जारी करने हेतु डीजीएस एण्ड डी से रेट कॉन्टेक्ट वाला फर्मो की सूची एवं रेट सूची वेबसाईट से डाउनलोड करनी चाहिये थी लेकिन जिला लेखा प्रबन्धक श्री सतीश गुप्ता ने अपने बयानों में लेख किया है कि फर्म के प्रतिनिधी द्वारा उन्हे रेट सूची उपलब्ध करायी गई। 2.क्रय आदेश सम्बधिंत फर्म को रजिस्टर्ड डाक से या उस फर्म की ई मेल पर भिजवाया जाना चाहिये था जबकि जिला लेखा प्रबन्धक श्री सतीश गुप्ता ने अपने बयानों में लेख किया है कि क्रय आदेश शिवा इन्टरनेशनल फर्म के प्रतिनिधि को व्यक्तिश: दिया गया। 3. भुगतान का चैक भी सम्बधित फर्म शिवा इन्टरनेशनल एच 62 इण्डस्ट्रियल एरिया उन्नाव उत्तरप्रदेश को पंजीकृत डाक से भिजवाया जाना था, जो डाक से नही भिजवाया जाना जाहिर हुआ। चैक कब एवं किसको दिया गया इस सम्बन्ध में डॉ नरेश बंसल, जिला लेखा प्रबन्धक श्री सतीश गुप्ता, कैशियर श्री अमित पूनिया सभी ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की है जो प्रकरण में इन सभी की मिलीभगत को दर्शाता है। क्योकि इनके द्वारा उक्त चैक किसी व्यक्ति को दस्ती दिया गया है। 4.फर्म को जारी किये गये चैक पर सिर्फ फर्म का नाम शिवा इन्टरनेशनल लिखा गया है जबकि चैक प्रस्तुत करते समय नोटशीट पर शिवा इन्टरनेशनल उत्तरप्रदेश लिखा गया है। यदि चैक जारी करते समय उस पर फर्म के नाम के साथ स्थान का भी अंकन किया होता तो फर्जी फर्म को भुगतान नही होता। 5. विवादित चैक के भुगतान के सम्बन्ध में बैंक से सूचना चाहे जाने पर पता चला कि गददो की खरीद के भुगतान हेतु जारी चैक संख्या 496354 दिनांक 16.02.15 का भुगतान कारपोरेशन बैंक शाखा गाधी पार्क, श्रीगंगानगर के खाते संख्या 065401601000260 में हुआ तथा यह खाता डीजीएसएण्डडी रेट कॉन्टेक्ट वाला फर्म का नही होकर इसी नाम की अन्य फर्म शिवा इन्टरनेशनल का है, जिसका मालिक विष्णु कौशिक श्रीगंगानगर का ही निवासी है। 6. यह भी जाहिर हुआ है शिवा इन्टरनेशनल नाम की फर्म का यह खाता दिनांक 18.02.15 को ही खुलवाया गया। दिनांक 19.02.15 को उक्त चैक का भुगतान हुआ तथा दिनांक 20.02.15 को खाता श्रीगंगानगर से जोधपुर स्थानान्तरित करा लिया गया। 7. जिस फर्म के खाते में भुगतान हुआ इसके सम्बन्ध में वाणिज्यकर विभाग में भी दस्तावेज प्राप्त करने पर यह भी पता चला कि बिल पर अंकित टिन नम्बर तथा जिस फर्म के खाते में भुगतान हुआ है उसका टिन नम्बर अलग है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह भी सामने आया है कि जिस फर्म को भुगतान किया गया है उनके द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न में भुगतान नही दिखाकर लगभग 2 लाख रूपये की टैक्स भी चोरी की हैं। 8.गददो की खरीद के भुगतान सम्बन्धित टीडीएस भी फर्म के पैन कार्ड में जमा नही होकर किसी बाबूलाल नाम के व्यकित को आवंटित पैन कार्ड संख्या बीटीओईएस4903ए के खाते में किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भुगतान के चैक का पैमेन्ट खाते में आने के एक दिन बाद ही किसी बाबूलाल नाम के व्यक्ति को पैसे भी ट्रान्सफर किये गये हैं। इस प्रकार बाबूलाल नाम के व्यक्ति की संलिप्तता भी इस प्रकरण में हो सकती है। 9.प्रकरण में उन्नाव स्थित जिस फर्म से गददों की खरीद किया जाना बताया गया है। उस फर्म ने अवगत कराया है कि उन्हे ना तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर से क्रय आदेश मिला ना उनके द्वारा आपूर्ति की गई ना उनके द्वारा 1254737.83 रू का कोई इनवॉईस जारी किया गया ना ही उन्हे इसका भुगतान मिला। इसके अतिरिक्त जिस दौरान यह क्रय आदेश दिया गया था उस समय उनका रेट कॉन्टेक्ट डीजीएस एण्ड डी से साथ नही है तथा उनके द्वारा डीजीएस एण्ड डी कार्यालय कानुपर द्वारा कोई निरीक्षण नही कराया गया। साथ ही यह भी बताया है कि श्रीगंगानगर में उनका कोई भी अधिकृत प्रतिनिधी नही है। इस प्रकार प्रकरण में वित्तीय अनियमितता करने के साथ ही निम्न दस्तावेज कूटरचना करके तैयार किये जाने की सम्भावना से इंकार किया जा सकता:- 1.रेट कॉन्ट्रेक्ट की वैद्यता की दिनांक को बदला गया हो। 2. कूटरचित तरीके से क्रय आदेश जारी किया गया हो। 3.कूटरचित तरीके से 1254737.83 रूपये का इनवॉयस जारी किया गया हो। 4.डीजीएस एण्ड डी कानपुर द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट। इस प्रकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा वर्ष 2014-15 में नसबंदी शिविर में महिलाओं के उपयोग हेतु गददे क्रय किये गये थे, जिसमें तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

श्री नरेश बंसल, श्री सतीश गुप्ता जिला लेखा प्रबन्धक (संविदा), श्री सुवालाल लेखाधिकारी तथा श्री अमित पुनिया तत्कालीन कैशियर द्वारा फर्म मैमर्स शिवा इन्टरनेशनल उन्नाव, उत्तरप्रदेश के तथाकथित मालिक श्री विष्णु कौशिक निवासी श्रीगंगानगर एवं श्री बाबूलाल ई मित्र संचालक से मिलीभगत कर फर्जी डीजीएस एण्ड डी दरो पर गददे क्रय किये जाकर अनाधिकृत व्यकित श्री विष्णु कौशिक को 12,54,737 रूपये का भुगतान कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर तथाकथित फर्म को लाभ पहुचाकर अपने अपने पद का दुरूपयोग कर आरोपीगण लोकसेवकों द्वारा अन्य व्यकियों से मिलीभगत कर जानबूझ कर वित्तिय अनियमितता वित्तिय नियमों का उल्लंघन करते हुये निर्धारित मापदण्ड अनुसार गददों की खरीद नहीं कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई है। अतः आरोपीगण 1.श्री नरेश बंसल तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर, 2. श्री सतीश गुप्ता तत्कालीन जिला लेखा प्रबन्धक(संविदा), 3. श्री सुवालाल तत्कालीन लेखाधिकारी, 4. श्री अमित पूनिया तत्कालीन कैशियर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर, 5. फर्म मालिक श्री विष्णु कौशिक, फर्म मैमर्म शिवा इन्टरनेशनल उन्नाव उतरप्रदेश, 6. श्री बाबूलाल पुत्र श्री मघदास, प्रोपराईटर ई मित्र संचालक, कृतिका कम्प्युटर्स वृद्धाश्रम रोड श्रीगंगानगर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.द.स. में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय, (वेदप्रकाश लखोटिया) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय.................कार्यवाही पुलिस.................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वेदप्रकाश लखोटियाँ उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1- श्री नरेश बंसल पुत्र श्री गोरधनदास बंसल उम्र 67 वर्ष निवासी 19 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत 2- श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रामरतन लाल गुप्ता उम्र 60 वर्ष निवासी आनन्द विहार श्रीगंगानगर तत्कालीन जिला लेखा प्रबन्धक(संविदा) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर 3- श्री सुवालाल पुत्र श्री मालीराम उम्र 68 वर्ष निवासी वार्ड नं0 01 हनुमान मांदिर के पीछे आर.सी.पी. कॉलोनी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन लेखाधिकारी हाल सेवानिवृत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर 4- श्री अमित पूनिया पुत्र स्व. श्री इन्द्रजीत पूनियां उम्र 47 वर्ष निवासी मकान नं0 1129 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तत्कालीन कैशियर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला क्षय एवं निवारण केन्द्र रतनगढ जिला चुरू 5- फर्म मालिक श्री विष्णु कुमार कौशिक पुत्र श्री हरिओमप्रकाश उम्र 40 वर्ष, निवासी 31 विनोबा मार्केट श्रीगंगानगर फर्म मैमर्स शिवा इन्टरनेशनल उन्नाव उतरप्रदेश 6- श्री बाबूलाल पुत्र श्री मघदास जाति स्वामी उम्र 38साल निवासी रामदेव कॉलोनी वृद्धाश्रम रोड जिला एव तह0 श्रीगंगानगर ई मित्र संचालक कृतिका कम्प्युटर श्रीगंगानगर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पवन कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 12 पर अंकित है (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 612-05 दिनांक 21.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर, 2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर। 4- निदेशक(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर 5- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर 6-. संयुक्त सचिव (राजस्व) वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर।, 7- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, जयपुर। . 8-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय। 9- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रनिब्यूरो जयपुर (परिवाद संख्या 06/2022) पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PAWAN KUMAR MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/05/2025 19:

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/04/1958				
2	Male	19/02/1965				
3	Male	18/07/1957				
4	Male	13/08/1976				
5	Male	1985				
6	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)